



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेंगा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

बेवसाईट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

No: २९६ / SEIAA/2022

Date: २९/५/२२

प्रति,

श्री भोलेराम अहिरवार आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,
निवासी— ग्राम रैपुरा,
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

विषयः— प्रकरण क्रमांक ८९२६ / २०२२ : परियोजना प्रस्तावक श्री भोलेराम अहिरवार आत्मज श्री हरिराम अहिरवार, निवासी— ग्राम रैपुरा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पथर खदान एरिया ३.० हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता २,२५,००० घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर ३६६, ग्राम जसराज, तहसील — सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स ज्वाला मॉ एसोसिएट, पार्टनर श्री होशियार सिंह आत्मज श्री घिसाराम एवं ०२ अन्य, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की ७१९ वी बैठक दिनांक २१.०४.२०२२ को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की ७०५वीं बैठक दिनांक १५.०२.२०२२ में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि इंडिएर्स अधिसूचना २००६ में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्राप्त कराकर एसईआईए ए में ऑनलाईन एवं हार्डकापी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेग। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय में आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. २९५ /SEIAA/2022 दिनांक — २९/५/२२

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेंगा कॉलोनी, भोपाल — ४६२०१६।
- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेंगा कॉलोनी, भोपाल — ४६२०१६।
- कलेक्टर, जिला सागर (म.प्र.)
- वनमंडलाधिकारी, जिला सागर (म.प्र.)
- आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर वाग रोड, नई दिल्ली — ११०००३।
- निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, परिवर्तन केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. ०३, रवि शंकर नगर, भोपाल — ४६२०१६।
- निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, २९-ए, खनिज भवन, अरेंगा हिल्स, भोपाल — ४६२००२।
- खनिज अधिकारी, जिला सागर (म.प्र.)
- संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी